कार्यालय ग्राम सभा नई चोंडी मालवीर...................... जनपद पंचायत................बुरहानपुर..............

जिला ....बुरहानपुर...................मध्यप्रदेश

–: ग्राम सभा का सहमति पत्र :–

प्रमाणित किया जाता है कि –

1. **जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर** (आवेदक विभाग का नाम)**भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना** (परियोजना का नाम) **भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना, बांध निर्माण** (कार्य का नाम) का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम नई चोंडी के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वनखण्ड के कक्ष क्रमांक **428, 433, 434, 435**, 481 एवं **436** में/राजस्व वन क्षेत्र के खसरा क्रमांक —.................में है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतगर्त ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 25/03 को की गई, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के संपूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रकियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम वन सभा के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती हैं।

संलग्न :– ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति।

दिनांक :– 25/03/13

अध्यक्ष
वन अधिकार समिती
नईचोंडी

सचिव
वन अधिकार समिती
नईचोंडी

सचिव
ग्राम पंचायत मालवीर
जनपद पंचायत बुरहानपुर

सरपंच
ग्राम पंचायत मालवीर
जनपद पंचायत बुरहानपुर

प्रधान/सचिव
हस्ताक्षर नाम एवं मुद्रा सहित

उपसरपंच
ग्राम पंचायत मालवीर
जनपद पंचायत बुरहानपुर

(नियम मे दर्शित)

ग्राम सभा का नाम नई चौण्डी — 3] ग्राम सभा का समय 10 : 30 बजे

ग्राम सभा दिनांक 25/3/13 — 4] ग्राम सभा का स्थान: नई चौण्डी

ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय	कार्यवृत
प्र. क्र. 01 ग्राम नई चौण्डी के पास भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना के सम्बंध मे (भावसा बांध)	प्र. क्र. 01 उपस्थित ग्राम सभा मे जल संसाधन बुरहानपुर प्रस्तावीत अमरावती नदी पर ग्राम चौण्डी के पास भावसा मध्यम सिंचाई परीयोजना है। जिसके निर्माण से जल स्तर मे वृद्धी, मत्सपालन, एंव मालवीर, भावसा, मोरखेडा कला, मोहद, खामनी, खारी, शाहपुर, बंभाडा ग्रामो की कृषी भूमी मे सिंचाई होगी। जिससे इस ग्राम पंचायत एंव क्षेत्र का विकास होगा। तथा वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक 428, 433, 434, 435, 481 436 होगे, उस क्षेत्र के आस-पास वन क्षेत्र का विकास मे रहने वाले प्राणीओ को पिने का पानी की उपलब्धता होगी। एंव वन क्षेत्र भी हरा-भरा होगा। यह प्रस्ताव ग्राम सभा मे उपस्थित ग्रामीणो द्वारा पारित किया गया।

सत्य प्रतिलिपी

बारकु — सचिव, वन अधिकार समिति, नईचौंडी

मांगीलाल सीताराम — अध्यक्ष, वन अधिकार समिति, नईचौंडी

[signature] पाटील — सचिव, ग्राम पंचायत मालवीर, जनपद पंचायत बुरहानपुर

[signature] — सरपंच, ग्राम पंचायत मालवीर, जनपद पंचायत बुरहानपुर

[signature]

उप खण्ड अधिकारी, बुरहानपुर म. प्र. (रा.)

भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना
प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप

कार्य –

वन क्षेत्र के बाहर स्थित वैकल्पिक स्थल जिनका की परीक्षण किया गया।	:	वैकल्पिक स्थल का चयन किये जाने के कारण वन भूमि की मॉग आवश्यक व न्यूनतम होने का औचित्य।
राजस्व भूमि	:	भावसा तालाब योजना एक मध्यम सिंचाई योजना है। इसके अंतर्गत आने वाली वन भूमि के लिए आवश्यक वन भूमि हेतु यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। बॉध एलाईग्मेन्ट इस प्रकार प्रस्तावित है। जिससे योजना की लागत कम से कम हो। इस वैकल्पिक एलाईग्मेन्ट का सर्वेक्षण किया गया था, एवं यह पाया गया कि प्रस्तावित एलाईग्मेन्ट के अतिरिक्त विकल्प नही है। बॉध का एलाईग्मेन्ट भावसा एवं चोंडी वनग्राम के आरक्षित वन के कक्ष क्रमांक 481,428, 433,434,435,एवं 436 में स्थित है।
परियोजना का उद्देश्य	:	तालाब से कुल सिंचित क्षैत्र 3750 हेक्टर मे होगा। तालाब से 15 ग्रामों की 3750 हेक्टर भूमि कृषि योग्य मे पाईप नहर द्वारा (ग्रेविटी) सिंचाई सुविधा का लक्ष्य है। जिससे 3750 हे.रबी की फसलों को लाभ मिलेगा। योजना निर्माण से जिलें की कुल सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। सिंचाई सुविधा में वृद्धि होने के कारण क्षेत्र में खाद्यान्न का वार्षिक उत्पादन बढेगा। तालाब निर्माण से मत्स्यपालन एवं विकास के लिए भी किया जा सकेगा। इस कार्य से लगभग 15 ग्रामों के ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त होने का अनुमान है। तालाब निर्माण से स्थानीय एवं आस–पास के ग्रामो के पशुओं तथा वन्य पशुओं को पीने के पानी की स्थायी व्यवस्था बन सकेगी।
कास्ट बेनिफिट एनालिसिस	:	योजना के क्रियान्वयन से संभावित हानि तथा अनुमानित लाभो का आर्थिक मूल्याकंन कास्टबेनिफिट की गणना की डी.पी.आर. बनने के पश्चात आंकलन की जावेगी गई।

निर्माण कार्य की दिनांक की प्रगति : योजना का सर्वेक्षण कार्य वर्ष 2011–12 की अवधि मे पूरा किया गया है। योजना को पूरा करने का लक्ष्य दिनांक जून 2019 की स्थिति मे योजना के निर्माण कार्यो की प्रगति निम्न प्रकार है।

तालाब निर्माण कार्य	वन संरक्षण अधि. 1980 के अंतर्गत स्वीकृत होने के पश्चात वन प्रकरण निराकरण उपरान्त	निविदा होना है।	वर्तमान में केवल सर्वेक्षण कार्य पूर्ण है।	निर्माण कार्य पर कोई व्यय नही हुआ है।

वन भूमि के उपयोग तथा वृक्षों की कटाई के कोई औपचारिक आदेश नही है।

योजना के अंतर्गत प्रस्तावित मुख्य कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है।

अनु.क्र.	*विवरण*	*लागत रू. लाख में*	*रिमार्क*
1	*2*	*3*	*4*
1	शीर्ष कार्य यूनिट – I	रू. 7339.04	
2	नहर कार्य यूनिट –II	रू. 4981.20	
योग –		**12320.24 लाख**	

स्थाई लोक संपत्ति की क्षतिपूर्ति हेतु वैकल्पिक निर्माण कार्य : डूब के कारण स्थाई लोक सम्पत्ति पब्लिक प्रापर्टी की क्षति होने की संभावना नहीं है।

वन भूमि को बचाने के लिए वैकल्पिक स्थलों का परीक्षण : योजना निर्माण से यथा संभव वन भूमि का उपयोग बचाने के उद्वेश्य से मुख्य कार्य के लिए वन क्षेत्र के बाहर स्थित वैकल्पिक स्थलों का परिक्षण किया गया, जिन कारणो से इन वैकल्पिक स्थलों का चयन संभव नही हुआ है वह बॉध की अधिक लम्बाई, अधिक पट्टेधारी कृषि योग्य निजी भूमि एवं ग्राम डूब से प्रभावित होने के कारण जिससे लागत मे वृद्धि। जबकि वन भूमि की मॉग डूब क्षेत्र से प्रभावित न्यूनतम तथा उपयोग हीन भाग के पहाडी की ढलान वाला भाग, नदी का भाग नालो का भाग ही प्रभावित होता है। जिसमे जल भंडारण होगा। जिससें वन क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। वन क्षेत्र मे रहने वाले वन्य प्राणियों को भरपूर पीने का पानी गर्मी मे एवं उनकी सुरक्षा की होगी। जिससे उनकी संख्या मे वृद्धि होगी।

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
बुरहानपुर

भावसा जलाशय के लिए ग्राम चोंडी वनग्राम की वन भूमि का भू–अर्जन प्रस्ताव मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिलें के बुरहानपुर से 30 कि.मी. दूर भावसा बांध का निर्माण देश एवं प्रदेश के हित मे है। और इस योजना के लिए बजट मे अनुदान संख्या 45/4702/लेखा शीर्ष मध्यम सिंचाई गैर आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत) वर्ष 2016–2017 के लिए रू. – का प्रावधान है।

यह एक सिंचाई योजना है जिसका लाभ प्रदेश की जनता को भूमि की सिंचाई, जानवरों को पीने के पानी के रूप मे मिलेगा। इससे एक लाभ यह भी है कि प्रदेश के बुरहानपुर जिलें के ग्राम भावसा एवं अन्य ग्रामों की जनता को रोजगार मिलेगा, जिसकी आवश्यकता भी है। इस योजना के अंतर्गत 1220 मी. लम्बा एवं 28.25 मीटर ऊंचाई का मिट्टी का बांध प्रस्तावित है जिसका इस विभाग के उच्च अधिकारियों ने अपने समृद्ध तकनीकी ज्ञान से बांध स्थल का चुनाव किया है जो सभी प्रकार से अतिउत्तम है। और इसका विकल्प नही है। बांध स्थल की भूमि चयन मे इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि भूमि ज्यादा से ज्यादा वनभूमि की पड़त, बेकार भूमि, कम से कम वन के घनत्व से गुजरती हो, वृक्षों को क्षति नही पहुँचती हो, धार्मिक स्थल, अथवा सार्वजनिक स्थल, कब्रिस्तान आदि नही हो और कम से कम पट्टेधारी कृषक भूमि हो आदि बातों का ध्यान रखा गया है।

इस बांध के लिए कम से कम वन भूमि की आवश्यकता का विशेष ध्यान रखा गया है। वन भू–अर्जन के लिए मुआवजा प्रकरण शासन द्वारा निर्धारित नियमो के अनुसार ही तैयार किया गया है।

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
बुरहानपुर

84
22

कार्यालय कलेक्टर जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

जावक क्र. 617

दिनांक:- 27/05/11

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन संभाग बुरहानपुर द्वारा सर्वेक्षण उपरांत प्रस्तावित भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना विकासखंड बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर की समीक्षा की गई हैं । समीक्षा के आधार पर संतोष है, कि कमांड क्षेत्र में आने वाली भूमि सिंचाई करने योग्य है । और इस क्षेत्र में सिंचाई की आवश्यकता हैं । प्रस्तावित फसल चक उपयुक्त एवं उपार्जन योग्य है :-

1) कमांड क्षेत्र के कृषक सिंचाई से होने वाले लाभ से अवगत हैं । और जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर पानी लेने को तैयार हैं ।

2) कृषक शासन द्वारा निर्धारित जलकर देने को तैयार हैं ।

3) योजना के डूब एवं नहर निर्माण में लगने वाली भूमि का अधिग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं आयेगी :-

लाभान्वित होने वाले ग्राम:-

1) भावसा
2) खामनी
3) शाहपुर
4) रायगॉव
5) फोपनार कलॉ
6) मालवीर
7) मोहद
8) बंभाड़ा

कलेक्टर
जिला-बुरहानपुर

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
बुरहानपुर

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय बुरहानपुर
तह व जिला - बुरहानपुर

द्वारा :- श्रीमान राजस्व निरीक्षक मण्डल शाहपुर

विषय :- भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने बाबद् ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है मण्डल शाहपुर के ग्राम मोहद, चादगण्ड, इच्छापुर की 208.77 हेक्टर भूमि भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित करने हेतु निम्नअनुसार सादर प्रस्तुत ।

	ग्राम	कुल खसरा नं०	कुल रकबा
1.	मोहद	28	95.88
2.	चादगण्ड	11	44.85
3.	इच्छापुर	08	68.04
	कुल	47	208.77

अतः उक्त अनुसार सूची ग्रामवार संलग्नकर श्रीमान की ओर उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत

अग्रेषित
रा.नि. शाहपुर
विजय शाह.

(हस्ताक्षर)
प.ह.नं. 42
किरणकुमार यादव
(पटवारी)

(हस्ताक्षर)
प.ह.नं 40
संजय गुप्ता
(पटवारी)

(हस्ताक्षर)
प.ह.नं 43
राकेश स्वर्ण
पटवारी

ग्राम- मोहद प.ह.न. 43 रा.नि.म. शाहपुर तहसील जिला बुरहानपुर

स.क्र.	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टर में	नोईयत	कैफियत
1	417	4.24	चराई	म.प्र. शासन
2.	420	10.74	-॥-	-॥-
3.	421	4.10	-॥-	-॥-
4.	423	0.31	-॥-	-॥-
5	425	1.18	-॥-	-॥-
6.	445	5.26	-॥-	-॥-
7	446	9.13	-॥-	-॥-
8.	450	0.67	-॥-	-॥-
9.	460	8.30	-॥-	-॥-
10.	479	3.41	-॥-	-॥-
11.	687	11.01	-॥-	-॥-
12	706	17.95	-॥-	-॥-
13	545	0.37	नाला	म.प्र. शासन
14	980	2.41	चराई	म.प्र. शासन
15	981	0.69	नाला	म.प्र. शासन
16.	982	1.60	नाला	-॥-
17.	985	0.51	-॥-	-॥-
18.	986	0.74	चराई	-॥-
19	987	0.65	नाला	-॥-
20.	988	0.98.	चराई	-॥-
21	989	0.80	चराई	म.प्र. शासन

स.क्र	खाता नं.	रकबा	नोईयत	कैफियत	
22	991	0.45	नाला	मु.प्रशासन	
23	994	0.22	नाला	-॥-	
24	996	0.59	नाला	-॥-	
25	997	4.80	चराई	-॥-	
26	808	0.69	नाला	म.प्रशासन	
27	915	3.34	चराई	-॥-	
28	931	0.74	-॥-	-॥-	
योग	28	95.88	—	—	

प.ह.नं. 63
ग्राम पटवारी
मोहद

ग्राम: धांगांव प.ह.नं. 42 रा.नि.म. शाहपुर तहसील जिला बुरहानपुर

सं.क्र.	खसरा नं.	रकबा	नोईयत	कैफियत	
1	212	5.710	शा. चरनोई		
—	—	—	—		
2	271	1.560	शा. गोचर		
3	289	5.420	शा. चरनोई		
4	449	4.020	शा. गोचर		
5	451	11.360	शा. गोचर		
6	511	1.640	शा. चरनोई		
7	519	1.060	शा. खाम खसदार		
8	528	3.480	शा. चरनोई		
9	575	7.130	शा. चरनोई		
10	613	1.300	शा. चरनोई		
11	619	2.17	शा. खाम खसदार		
~~12~~	~~621~~	~~7.93~~	शा. आबादी (विराग)		
योग		~~52.78~~ 44.85 हेक्टर			

प.ह.नं.42

ग्राम : इच्छापुर, प.ह.नं. : 40, रा.नि.मं. : शाहपुर, तहसील एवं जिला : बुरहानपुर

स क्रं	खसरा नं.	रकबा (हे.)	नाईयत	कैफियत
1	1239	9.77	चारगाह	शासकीय
2	1253	7.48	चरनोई	शासकीय
3	1303	पै 11.29	चरनोई	शासकीय
4	1304	10.63	चरनोई	शासकीय
5	1305	7.31	चरनोई	शासकीय
6	1307	6.52	चरनोई	शासकीय
7	1624	पै 7.99	चरनोई	शासकीय
8	1645	7.05	चरगाह	शासकीय
कुल	08	68.04		

कुल खसरा नं. 08
कुल रकबा 68.04 हे.

वन विभाग हेतु प्रस्तावित

पटवारी
प.ह.नं. 40

: मौका पंचनामा :

हम नीचे हस्ताक्षरकर्ता आज दिनांक 5/7/2016 को आपके आदेशानुसार पत्र क्रमांक 4516-17 मा.चि./16 बुरहानपुर दिनांक 2/7/16 के तारतम्य मे भावसा मध्यम सिंचाई योजना से प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना हेतु ग्राम इच्छापुर के 08 खसरो की कुल भूमि 68.04 हेक्टर का भौतिक सत्यापन हेतु मौका स्थल पर तहसील बुरहानपुर एवं जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि तथा विभागीय कर्मचारियों के साथ उपस्थित हुये। मौका स्थल पर खसरो के नक्शों एवं रकबा का अभिलेख अनुसार ग्राम इच्छापुर के पटवारी हल्का क्रमांक 40 में उपलब्ध का मिलान किया गया जो निम्नानुसार है।

स.क्र	खसरा नं	कुल रकबा	नोईयत	रिमार्क
1	1239	9.77	चरागाह	
2	1253	7.48	चरनोई	
3	1303	11.29	चरनोई	
4	1304	10.63	चरनोई	
5	1305	7.31	चरनोई	
6	1307	6.52	चरनोई	
7	1624	7.99	चरनोई	
8	1645	7.05	चरागाह	
कुल	8	68.04		

उक्त खसरो का अभिलेख के मिलान पश्चात जीपीएस रीडिंग ली गई। जिसका नक्शा की फोटोकापी संलग्न है। उक्त खसरो में किसी भी प्रकार से वन भूमि प्रभावित नहीं होती है।

(हस्ताक्षर) पटवारी

(हस्ताक्षर) [illegible] 5-7-2016

राजेन्द्र [illegible]

सुशील (सुशील ठाकुर)

गोपाल कोरवार

पंडीता कोरवार

[illegible] उपयंत्री जल संसाधन

राजु सोलंकी इच्छापुर

एस.के. मिश्रा प.स. इच्छापुर